71

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1238—पीबीआर/2013 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 23—02—2013 के द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 374/अपील/2010—11

.....

अवध नारायण पुत्र श्री भैयालाल
निवासी—ग्राम मडिया दरोई तह0 ग्यारसपुर
जिला—विदिशा, म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1— भगवती बाई पत्नी श्री भाई साहब
2— सुनील पुत्र श्री भाई साहब
3— अमित पुत्र श्री भाई साहब
निवासी—ग्राम मडिया दरोई तह0 ग्यारसपुर
जिला—विदिशा, म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री आर0डी0 अग्रवाल, अभिभाषक, आवेदक
श्री सुनील जादौन, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 3-11-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 374/अपील/2010—11 में पारित आदेश दिनांक 23—02—2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि ग्राम मड़ियादरोई स्थित विवादित भूमि सर्वे नं0 120/1 रकबा 4.598 है0 पर आवेदक ने धारा 115, 116, व 6, 7, 8 के अंतर्गत कब्जा दर्ज करवाने हेतु आवेदन पेश किया । उक्त आवेदन—पत्र पर अनावेदकगण द्वारा आपत्ति पेश की गई।

आपत्ति आवेदन पत्र में लेख किया गया कि तहसीलदार को कब्जा दर्ज करने का अधिकार नहीं है । तहसील न्यायालय ने प्र0क्र0 10/अ–6–अ/2008–09 पंजीबद्ध किया तथा अपने आदेश दिनांक 04.12.2008 से आपत्ति खारिज कर कब्जा दर्ज करने का अन्तिम आदेश पारित कर दिया । इस आदेश से परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, ग्यारसपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 01.03.2011 के द्वारा अपील अस्वीकार की गई । इसी आदेश से असंतुष्ट होकर अनावेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 374/अपील/2010–11 पंजीबद्ध किया गया तथा आदेश दिनांक 23.02.2012 से तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2008 एवं अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2011 निरस्त किया गया और अनावेदकगण की अपील स्वीकार की गई ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि तहसील न्यायालय द्वारा राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय सिद्धांतों 1995 आर.एन. 366 कुण्ठीबाई एवं अन्य वि0 ग्वालियर एग्रीकल्चर लि. डबरा, 1992 आर.एन. 62 बुद्ध वि0 नाथू, 2008 आर. एन. 110 शिवचरण वि0 रामकिशोर 2005 आर.एन. 37 एवं 2004 आर.एन. 365 को आधार मानते हुये आदेश पारित किया । यह आदेश क्यों गलत है एवं निर्णय क्यों बंधनकारक नहीं है इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर अधीनस्थ अपीली न्यायालय द्वारा प्रश्नागत आदेश में कोई विचार नहीं किया गया और न ही कोई निष्कर्ष दिया, इसलिये अधीनस्थ अपीली न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है । न्याय दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि, पटवारी की संहिता की धारा 121 के तहत बने नियमों 6, 7, एवं 8 के अन्तर्गत अपने दायित्वों को निर्वाह करना अनिवार्य था, परन्तु उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया । ऐसी स्थिति में आवेदकगण ने तहसील में कब्जा लिखने हेतु आवेदन–पत्र दिया है इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपचार शेष नहीं था । संहिता की धारा 41 के नियम (1) निम्नानुसार है:– " मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (1959 का क्रमांक 20) की धारा 50 के उपबंधों के अधीन रहते हुये आवेदनों का ग्रहण और मामलों का संज्ञान उन पर विचार करने के लिये सक्षम निम्नतम न्यायायल द्वारा ही किया जायेगा ।" इस नियम से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय जो कि राजस्व न्यायालयों की निम्नतम न्याालय है एवं आवेदकगण द्वारा

प्रस्तुत आवेदनपत्र को तहसील न्यायालय द्वारा नियमानुसार ग्राह्य किया गया है । उन्होंने तर्क में यह भी बताया कि पटवारी के कर्तव्य है कि , कब्जे का मौके के अनुसार राजस्व प्रपत्रों में इन्द्राज करें और यदि वह नहीं करता है तो संबंधित पक्षकार इस संबंध में तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र देगा । भले ही इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं हो तब भी संहिता की धारा 32 एवं 41 के अतंगत आदेश पारित करना चाहिये और इसलिये अधीनस्थ अपीली न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण सिद्धांत पर कोई विचार नहीं किया । छविलाल विरूद्ध रेनकी बाई एवं अन्य 1985 आर.एन. 308 में राजस्व मण्डल द्वारा भी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि यदि अवेदनपत्र में कब्जा लिखने में कोई गलत धारा का उल्लेख किया है तब भी इस आधार पर आवेदन पत्र निरस्त नहीं किया जायेगा और आवेदन पत्र के अनुसार अनुतोष दिया जायेगा। आवेदक ने भी धारा 115 व 116 के अन्तर्गत आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था । राजस्व मण्डल द्वारा रामस्वरूप वि0 कलावती 2007 आर.एन. 199 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि भू–राजस्व संहिता में कब्जा लिखने के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है किन्तु तहसीलदार को धारा 115 के अन्तर्गत धारा 32 के उपबंधों के अनुसार मौके की स्थिति के आधार पर आदेश पारित करना चाहिये। इसलिये तहसील न्यायालय द्वारा वैध एवं उचित रूप से आदेश पारित किया गया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि भूमि सर्वे नं0 120/1 लगभग 20 बीघा से अधिक है । उक्त भूमि हमारे पिता प्यारेलाल ने अनावेदकगण को विक्रय की थी, परन्तु क्रेता ने उक्त भूमि के सम्पूर्ण विक्रय राशि अदा नहीं की थी व इकरारनामा लिख दिया था कि यदि दस हजार रुपये बैसाख सुदी पूर्णिमा सम्बत 2041 तक अदा नहीं किये तो वह मेरी अचल सम्पत्ति से वसूल कर ले व उसी आधार पर आवेदक के पिता उक्त भूमि पर वर्ष 2006–07 से निर्विवाद रूप से काबिज रहकर कृषि कार्य करते चले आ रहे है । भूमि वर्ष 2007–08 में खसरा पांचसाला में सुनील कुमार, अमित कुमार, रामू, पुत्रगण भाई साहब सरपस्त भगवती बाई

बेवा भाई साहब के नाम दर्ज थी । प्रकरण में आवेदक द्वारा स्वयं स्वीकार किया कि उसके पिता द्वारा भूमि अनावेदकगण के पति/पिता को विक्रय की थी । भूमि विक्रय उपरांत नामांतरण भी हो चुका था एवं भैयालाल की मृत्यु के बाद उसके वारिसों के नाम फौती नामांतरण भी हो चुका है । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 115 व 116 के अतंर्गत कार्यवाही की गई है । प्रकरण में आवेदक द्वारा यह बताया गया कि उसके पिता द्वारा अनावेदक को भूमि विक्रय की थी, किन्तु उसके पिता का कब्जा रहा है । इसके अतिरिक्त प्रकरण में विधि का प्रश्न है कि संहिता की धारा 115 व 116 के अंतर्गत तहसीलदार को भूमि का कब्जा लिखने की अधिकारिता है अथवा नहीं ? धारा 116 के अंतर्गत कार्यवाही पक्षकार के आवेदन पर की जा सकती है, किन्तु आवेदन प्रस्तुतिकरण की अवधि प्रविष्टि से एक वर्ष के अन्दर है और धारा 115 के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा स्वमेव कार्यवाही की जा सकती है । किन्तु पक्षकार के आवेदन पर नहीं की जा सकती । इसके अतिरिक्त केवल प्रविष्टि का शुद्धिकरण किया जा सकता है, कब्जा लिखे जाने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रकरण में प्रस्तुत इकरारनामे में यह अंकित है कि यदि मैं समय पर उक्त धन श्री प्यारेलाल को अदा न करूं तो श्री प्यारेलाल को अधिकार होगा कि कुल रुपये दस हजार भुगतान होने की दिनांक तक मया हर्जा–खर्चा के मुझसे मेरी चल–अचल सम्पत्ति से जिस तरह चाहे वसूल कर ले, इसमे मेरे व मेरे वारिसान को कोई आपत्ति किसी किस्म की न होगी। प्रकरण में इकरानामे में अंकित नहीं है कि भूमि का कब्जा अवधनारायण के पिता भैयालाल को दिया गया । इकरारनामे से भूमि का कब्जा दिया सिद्ध नहीं होता, इस हेतु आवेदक सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर सकता है । अतः अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, ग्यारसपुर का आदेश दिनांक 01.03.2011 एवं तहसीलदार का आदेश दिनांक 04.12.2008 निरस्त किया गया जाता है । न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–02–2013 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर